भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 508
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम (जल जीवन मिशन) के अंतर्गत अकार्यशील नल जल कनेक्शन

†508. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जल संकट वाले क्षेत्रों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए नल-जल कनेक्शनों की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षा या सर्वेक्षण कराया है और वर्तमान में कितने घरों में जल आपूर्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्यशील नल कनेक्शन हैं;
(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;
(ग) नियमित जल आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अकार्यशील नल कनेक्शन के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(घ) कार्यशील जल कनेक्शन वाले घरों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा जेजेएम के तहत राज्य-वार कितने कनेक्शनों का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और
(ङ) गांवों में नल के पानी की उपलब्धता की निगरानी करने और जहां टैंक और उससे संबंधित बुनियादी ढांचा अभी भी निर्माणाधीन हैं, उनकी प्रगति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी में देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल का क्रियान्वयन कर रही है।

जल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जेजेएम के तहत, यह विभाग स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से नियमित रूप से 'नल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन' करता है। मूल्यांकन कार्य के तहत, नल कनेक्शन की कार्यशीलता का मूल्यांकन तीन मापदंडों अर्थात् मात्रा (55 एलपीसीडी या अधिक), गुणवत्ता और नियमितता अर्थात् पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष में सभी 12 महीनों के लिए जल आपूर्ति पर किया जाता है। वर्ष 2022 में किए गए अंतिम ऐसे मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर, देश भर के 13,303 गांवों के कुल 3.01 लाख परिवारों (एचएच) का यादृच्छिक रूप से सर्वेक्षण किया गया था। इन परिवारों में से 86% परिवारों के नल कनेक्शन कार्यशील पाए गए, जिनमें से 85% परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल प्रदान किया जा रहा था, 87% परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल दिया जा रहा था और 80% परिवारों को नियमित रूप से पूर्ण जल आपूर्ति मिल रही थी। मूल्यांकन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/2022-10/national_report_of_functionality_assessment_2022.pdf

कार्यशीलता मूल्यांकन सर्वेक्षण की रिपोर्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जाती है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और परिवारों तक जल सेवा की आपूर्ति में सुधार किया जा सके।

(घ) देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जेजेएम शुरू किया गया है। जेजेएम डैशबोर्ड पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कार्यशील नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ) गांवों में नल जल कनेक्शन की उपलब्धता की निगरानी के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला-वार, गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति की सूचना देने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' विकसित किया गया है। इसके अलावा, गांवों में जल आपूर्ति की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, वैधानिक प्रावधानों के अध्यधीन लक्षित सेवा प्रदान करने हेतु परिवार के मुखिया के आधार को जोड़ने, सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग करने, आदि के प्रावधान भी जेजेएम के तहत किए गए हैं।

जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी गांव में परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए टैंकों के निर्माण और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे आदि जैसे कार्यों के पूरा होने के बाद, योजना को लागू करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान

करता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर 'हर घर जल' गांव के रूप में चिह्नित करता है। इसके बाद, ग्राम सभा अपनी बैठक में कार्य पूर्णता रिपोर्ट को जोर से पढ़ते हुए औपचारिक रूप से प्रस्ताव पारित करती है, जिसमें वह स्वयं को 'हर घर जल' गांव के रूप में प्रमाणित करती है। कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और ग्राम सभा को कैप्चर करने वाला एक छोटा वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार, प्रमाणीकरण केवल ग्राम स्तर पर और गांव के सभी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के बाद ही किया जाता है।

*****

अनुबंध

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 508 के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण परिवारों के नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(25.11.2024 तक)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आज की तारीख तक कुल ग्रामीण परिवार	नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार 15.08.2019 तक		जेजेएम के शुभारंभ के बाद से प्रदान किए गए नल कनेक्शन		नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार 25.11.2024 तक	
			संख्या	% में	संख्या	% में	संख्या	% में
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.75	0.33	53.29	0.62	100.00
2.	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.21	39.53	41.38	70.27	73.56
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	10.06	2.06	89.77	2.29	100.00
4.	असम	71.94	1.11	1.55	57.41	79.81	58.52	81.35
5.	बिहार	166.92	3.16	1.89	157.20	94.18	160.36	96.07
6.	छत्तीसगढ़	50.04	3.2	6.39	36.57	73.08	39.77	79.47
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	0.85	-	-	0.85	100.00	0.85	100.00
8.	गोवा	2.64	1.99	75.41	0.65	24.59	2.64	100.00
9.	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
10.	हरियाणा	30.41	17.66	58.07	12.75	41.94	30.41	100.00
11.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.65	9.46	55.34	17.09	100.00
12.	जम्मू एवं कश्मीर	19.24	5.75	30.76	9.77	50.78	15.52	80.68
13.	झारखंड	62.54	3.45	5.52	30.69	49.07	34.14	54.58
14.	कर्नाटक	101.29	24.51	24.2	57.80	57.06	82.31	81.26
15.	केरल	70.82	16.64	23.48	21.62	30.53	38.26	54.02
16.	लद्दाख	0.41	0.01	2.45	0.38	92.69	0.39	95.89
17.	लक्षद्वीप	0.13		-	0.12	93.76	0.12	91.17
18.	मध्य प्रदेश	111.80	13.53	12.1	60.66	54.26	74.19	66.36
19.	महाराष्ट्र	146.79	48.44	33.02	79.73	54.31	128.17	87.31
20.	मणिपुर	4.52	0.26	5.76	3.33	73.77	3.59	79.58
21.	मेघालय	6.51	0.05	0.77	5.25	80.58	5.30	81.36
22.	मिजोरम	1.33	0.09	6.76	1.24	93.28	1.33	100.00
23.	नागालैंड	3.64	0.14	3.85	3.22	88.48	3.36	92.42
24.	ओडिशा	88.67	3.11	3.51	64.01	72.19	67.12	75.69
25.	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.76	0.21	18.23	1.15	100.00
26.	पंजाब	34.27	16.79	49.12	17.48	51.00	34.27	100.00
27.	राजस्थान	107.30	11.74	10.96	46.83	43.65	58.57	54.59
28.	सिक्किम	1.33	0.7	52.57	0.50	37.91	1.20	90.66
29.	तमिलनाडु	125.29	21.76	17.39	88.20	70.40	109.96	87.76
30.	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.96	53.98	100.00
31.	त्रिपुरा	7.50	0.25	3.33	6.06	80.84	6.31	84.14
32.	उत्तर प्रदेश	266.69	5.16	1.94	224.45	84.16	229.61	86.09
33.	उत्तराखंड	14.52	1.3	8.95	12.75	87.84	14.05	96.84
34.	पश्चिम बंगाल	175.25	2.15	1.23	91.54	52.23	93.69	53.46
	कुल	**1,934.45**	**3,23.62**	**16.75**	**1,206.98**	**62.39**	**1,529.91**	**79.09**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एचएच: परिवार